

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक D/393 /  
तीन-8-6 / 23 भाग-14

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी, 2021

(भारत सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 12.10.2020 के अनुसार एलटीसी का वास्तविक उपयोग करने के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज मान्य किया गया है। इस संबंध में संलग्न प्रारूप एवं दिशा निर्देशों के अनुसार देयक तैयार करने के संबंध में )

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
3. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
4. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
6. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
7. सहायक(यात्रा भत्ता)/यात्रा भत्ता लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
8. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के स्पेशल कैश पैकेज के देयक उपरोक्तानुसार निराकरण करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

29.9.2021  
(सनत कुमार कश्यप)

रजिस्ट्रार (वर्क्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर)

29/1/21

FORMATECALCULATION OF SPECIAL CASH PACKAGE in LIEU OF LTC FOR BLOCK YEAR -----

Name of Officer's &amp; Designation

Basic Pay+DAX10

30

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| I  | Leave Encashment for 10 days sanctioned and if already paid via Tr. Vr. NO. Dt. | Rs. |
| II | Fare Value @ Rs. 20000/- vide O.NO. 12-10-2020<br>(For -----person)             | Rs. |

---

 Total Value
 

---

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| III | Amount to be spent for full cash benefit<br>Leave Encashment=Rs.<br>3 times of Notional Fare=Rs. _____ | Rs. |
|-----|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Actual amount spent for which vouchers has produced (With GST Tax all above @ 12%) | Rs. |
|--|-----|

Vouchers Details-

| VENCOR'S NAME & ADD.                             | AMT. | GST | TOTAL |
|--|------|-----|-------|
| A  |      |     |       |
| B  |      |     |       |
| C  |      |     |       |
| D  |      |     |       |
| E  |      |     |       |
| <u>Amount already spends more/less than Rs.</u>  | -    | -   | Rs.   |
| <u>therefore entitlement for Cash Package is</u> | -    | -   | -     |

|   |           |
|---|-----------|
| Cash Package Entitlement                | Rs        |
| (-) adjustment (Advance, if paid any)   | (-)       |
| 1 Already Paid 10 days Leave Encashment | (-)       |
| 2 LTC Advance already paid              | (-)       |
| <u>Amount to be paid</u>                | <u>Rs</u> |

एलटीसी के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज तैयार करने के संबंध में निर्देशः—

1. एलटीसी का वास्तविक उपयोग करने के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज का देयक फार्म क्रमांक 1 लेखा 16 पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जावे।
2. देयक में किस ब्लाक वर्ष की एलटीसी सुविधा के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज का उपभोग किया गया है का लेख करना आवश्यक है।
3. देयक के साथ केश मेमों को और ऑन लाईन भुगतान को दिशा निर्देशों के अनुसार स्व-प्रमाणित करना आवश्यक है।
4. देयक में परिवार के सदस्यों की संख्या, नाम व संबंध का उल्लेख होना चाहिये।
5. देयक में डीम्ड फेयर की कितनी राशि व अवकाश नगदीकरण हेतु कितनी राशि की पात्रता आती है इसका उल्लेख करना आवश्यक है एवं पात्रता अनुसार कुल कितनी राशि खर्च करना है का ब्यौरा लिखना आवश्यक है।
6. देयक में अग्रिम स्वीकृति का आदेश क्रमांक व दिनांक का वर्णन करना आवश्यक है (आदेश की छायाप्रति भी संलग्न की जावे) एवं ट्रेजरी वाउचर क्रमांक एवं दिनांक का वर्णन भी करना आवश्यक है।
7. देयक के साथ अवकाश नगदीकरण स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक का वर्णन करना आवश्यक है (आदेश की छायाप्रति भी संलग्न की जावे) एवं ट्रेजरी वाउचर क्रमांक एवं दिनांक का वर्णन भी करना आवश्यक है।
8. देयक के साथ अवकाश नगदीकरण की स्वीकृत राशि के संबंध में आईएफएमएस सिस्टम से मूल वेतन की प्रति प्राप्त कर देयक के साथ स्व प्रमाणित करना आवश्यक है। अवकाश नगदीकरण का पूर्ण ब्यौरा तैयार कर देयक के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना आवश्यक है।
9. वर्तमान में आल इंडिया का ब्लाक वर्ष 2019-23 और होम एलटीसी हेतु 2019-21 चालू है। इसलिये केवल इन दो ब्लाक में से किसी एक ब्लाक हेतु ही स्पेशल कैश पैकेज के देयक तैयार किये जावे।